न्यायालय संभागीय आयुक्त, भरतपुर

अपील संख्याः– 410/2017 (75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम)

1. किशोर
2. बिजेन्द्र

पिसरान श्री बल्लो जाति गूजर निवासीयान ग्राम पान्हौरी तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार साहब तहसील डीग जिला भरतपुर।

.....असल रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी (सहायक कलक्टर) डीग दिनांक 12.1.2017 उनवानी किशोर बनाम तहसीलदार तहसील डीग मुकदमा सं0 238/2014 प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

उपस्थितिः–

1. श्री हनुमान प्रसाद वकील अपीलान्ट
2. राजकीय अधिवक्ता

नि र्ण य

दिनांकः 1.2.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी डीग के निर्णय दिनांक 12.1.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि अपीलान्टस ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राज0 भू राजस्व अधिनियम इस आशय का तहत अदालत के समक्ष पेश किया था कि नवीन खसरा नम्बर 1671 रकबा 2–32 हैक्टेयर वाकै ग्राम शीशवाडा तहसील डीग का रकबा साविक आराजी खसरा नम्बर 1970 रकबा 15 बीघा के अनुसार 1671 रकबा 2–40 हैक्टेयर मुताबिक साविक रिकार्ड दुरूस्त किये जाने की आज्ञा फरमायी जाकर राजस्व रिकार्ड में नवीन खसरा नम्बर 1671 रकबा 2–40 हैक्टेयर दर्ज किया जाने के आदेश पारित किये जावे। बाद कार्यवाही उपखण्डाधिकारी डीग द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.1.2017 पारित करते हुये यह कहते हुये खारिज कर दिया कि प्रार्थीयान द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को प्रमाणित कराने हेतु अन्य कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया है । इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश दिनांक 12.1.2017 खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है। यह कि नवीन ख0नं0 1671/2–32 वाकै ग्राम शीशवाडा तहसील डीग है जिसे बन्दोबस्त हाल में साबिक खसरा नम्बर 1970 मि0 रकबा 15 बीघा के बदले में बनाया गया है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थी संख्या 2 के ताऊ बल्देवसिंह की शादी प्रार्थीगण की माता व तरतीवी अप्रार्थी की माता मुस0 महौरकौर से हुई थी । प्रार्थीगण के ताऊ बल्देवसिंह की सन 1962 में मृत्यु हो गई थी इसलिऐ मु0 महौर कौर बेवा बल्देवसिंह को राज्य सरकार द्वारा साबिक ख0नं0 1970 वाकै ग्राम शीशवाडा तहसील डीग में से रकबा 15 बीघा आवंटन किया गया था। मु0 महौर कौर बल्देवसिंह के नुफ्ते से कोई सन्तान पैदा नहीं हुई और विधवा होने के कुछ समय बाद ही मु0 महौर कौर माता प्रार्थीगण ने अपने देवर बल्लो पिता प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थी के साथ शादी कर ली और मु0महौर कौर व बल्लो के नुत्फे से तीन पुत्र प्रार्थीगण व तरतीवी अप्रार्थीसंख्या 2 पैदा हुये । कुछ समय बाद प्रार्थीगण व तरतीवी रैस्पो0 2 की माता मु0 महौर कौर की मृत्यु हो गई। मु0 महौर कौर की मृत्यु केबाद से उक्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 1970 रकबा 15 बीघा पर प्रार्थीगण व तरतीवी रैस्पो0 संख्या 1 बतौर वारिस व हैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे है तथा विरासतन दाखिला खारिज भी प्रार्थीगण तथा तरतीवी अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में उक्त साविक खसरा नम्बर 1970 रकबा 15 बीघा से बने नवीन खसरा नम्बर 1671/2–32 के हिस्सा 1/3, 1/3 का विरासतन तस्दीक हो गया । उसके कुछ समय बाद तरतीवी अप्रार्थी संख्या 2 ने अपने हिस्सा 1/3 का हक त्याग जरिये रिलीजडीड अपने भाई प्रार्थी संख्या –2 विजेन्द्र के पक्ष में कर दिया जिसके बाद से उक्त आराजी के हिस्सा 1/3 पर प्रार्थी संख्या 2 विजेन्द्र तथा हिस्सा 1/3 पर प्रार्थी संख्या 1 किशोर का कब्जा बतौर खातेदार काश्तकार चला आ रहा है तथा इस वक्त भी मौके पर है। बन्दोवस्त द्वारा साविक खसरा नम्बर 1970 रकबा 15 बीघा के बदले में नवीन नम्बर 1671/2–32 बनाया है। जो कि साबिक के मुकाबले 8 ऐयर कम अंकित किया है । नवीन पैमायश में साविक खसरा नम्बर 1970 के रकबा 15 बीघा की आराजी 2–40 हैक्टैयर होती है मुताबिक साविक मौके पर नवीन विवादित खसरा नम्बर 1671 की आराजी के 2–40 हैक्टेयर ही है। लेकिन बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत तरीके से खिलाफ मौका व खिलाफ कानून साकि रिकार्ड के विरूद्ध नवीन नं0 1671 की आराजी 2–40 हैक्टेयर के स्थान पर 2–32 हैक्टेयर अंकित कर दी है। जिसको दुरूस्त कराने का अपीलान्ट अधिकारी है। लेकिन तहत अदालत ने बिना किसी आधार के बिना कोई राजस्व रिकार्ड के अवलोकन किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिय है जो काबिले मंसूखी है। इसके अलावा वकील अपीलान्ट का यह भी तर्क है कि पूर्व में न्यायालय हाजा द्वारा जारी निर्णय दिनांक 11.4.2014 की पालना नहीं की गई बल्कि नये सिरे से आराजी खसरा नम्बर 1839 में अपीलान्ट का खसरा नम्बर 1671 रकबा 2.32 हैक्टेयर के अलावा 8 ऐयर का रकबा मिला हुआ मानकर सबूत न पेश करने के आधार पर गलत निर्णय दिया है। जबकि अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र दिनांक 5.3.2009 में मौके पर आराजी खसरा नम्बर 1671 का रकबा 2.40 है0 पूर्ण माना था और केवल राजस्व रिकार्ड में 2.40 हैक्टेयर की बजाय 2.32 हैक्टेयर पर खातेदारी देना माना था । तहत अदालत को स्वयं ही न्यायालय हाजा के फैसले दिनांक 11.4.2014 के अनुसार रिकार्ड आफ राईटस को दुरूस्त करना था और राजस्थान सरकार के हाल आ0ख0नं0 1668 रकबा 6.56 है0 वाकै ग्राम शीशवाडा में से 8 ऐयर कम कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करना था। हाल खसरा नम्बर 1668 रकबा 6.56 है0 वाकै शीशवाडा बनाया है जिसमें साविक नम्बरान का कितना कितना रकबा मिला है का उल्लेख नहीं है और 8 ऐयर रकबा कम कर अपीलान्ट के हाल आराजी खसरा नम्बर 1671 रकबा 2.32 है0 में 8 ऐयर मिलाने से गांव का कुल देह यानि कुल रकबा पर

कोई असर नहीं पडता है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 4.4.2016 में भी अपीलान्ट का ख0नं0 1671 रकबा 2.40 हैक्टेयर मौके पर माना था। इस प्रकार केवल जमाबन्दी एवं खसरा गिरदावरी में 8 ऐयर रकबा बढाकर 2.40 है0 रकबा कागजात पटवार में दुरूस्त करना था। ख0नं0 1839 जिसमें कि पटवारी हल्का ने क्यासन के तौर पर 8 ऐयर रकबा शामिल होना माना था और स्वयं ही राजस्व रिकार्ड तलब कर एलआरएक्ट की धारा 369 में अभिलेख दुरूस्त करना था लेकिन तहत अदालत ने अपीलान्ट के द्वारा खसरा नमबर 1839 का रिकार्ड पेश न करने पर अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया गया जो कतई न्यायोचित नहीं है। अपीलान्ट द्वारा रकबा हाल में बेच देने से प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट पर काई प्रभाव नहीं पडता । बेच देने के बाद भी 8 ऐयर रकबा के खातेदार काश्तकार अपीलान्ट रह जाते है। इसके अलावा तहत अदालत में तरतीवी रैस्पोडेन्ट शीशराम का देहान्त हो चुका है और उसका हिस्सा पूर्व में अपीलान्ट संख्या 2 ने कय कर लिया था इस कारण उसको अपील में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलान्ट को नहीं थी क्यों कि 12.1. 2017 को फैसला नहीं सुनाया गया। जानकारी करने पर दिनांक 15.5.2017 को इस बाबत जानकारी हुई। तदोपरान्त तत्काल नकल प्रा0पत्र पेश किया और 16.5.2017 को नकल प्राप्त हुई। होने जानकारी दिनांक से अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे जिसके लिये पृथक से धारा –5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर निर्णय दिनांक 12.1.2017 निरस्त किया जावे एवं अपीलान्ट का 8 ऐयर रकबा आराजी खसरा नम्बर 1671 में बढाकर रकबा 2.40 हैक्टेयर राजस्व अभिलेख में किया जावे।

रैस्पोडेन्ट की ओर से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता द्वारा तहत अदालत उपखण्डाधिकारी डीग जिला भरतपुर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.1.2017 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। यह कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 11.4.2014 की पालना में पुनः बाद कार्यवाही तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। तहसीलदार डीग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 4.4.2016 से अवगत कराया कि मुताबिक रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत 2068–2071 में उक्त खसरा नम्बर 1671 रकबा 2.32 हैक्टेयर हरीराम पुत्र तुलाराम कौम ब्राहमण साकिन जुल्हैदी तहसील व जिला मथुरा उ0प्र0 के नाम दर्ज रिकार्ड है। मौके पर खसरा नम्बर 1671 की पैमाईश की गई। मौके पर खसरा नम्बर 1671 का रकबा 2. 40 हैक्टेयर है। प्रार्थी द्वारा पेश जमाबन्दी सम्बत 2064–2067 में खसरा नम्बर 1671 किशोर पुत्र बल्लो हिस्सा 1/3 बृजेन्द्र पुत्र बल्लो हिस्सा 2/3 कौम गूजर साकिन पान्हौरी खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थी ने बताया कि उक्त खसरा नमबर 1671 का बेचान 2.32 है0 का कर दिया है। प्रार्थी द्वारा पेश मिलान क्षेत्रफल एवं नक्शा के अनुसार खसरा नम्बर 1671 रकबा 2. 32 जो साबिक खसरा नम्बर 1970 रकबा 15 बीघा से बना है। अतः खसरा नम्बर 1671 रकबा 2.40 हैक्टेयर होना चाहिऐ था । मिलान क्षेत्रफल एवं नक्शा के अनुसार खसरा नम्बर 1839 रकबा 0.50 जो कि साबिक खसरा नम्बर 1741 रकबा 2 बीघा 9 विस्बा जिसका रकबा 0.39 हैक्टेयर बनता है मौके पर खसरा नमबर 1839 की पैमायश की गई तो पैमायश के अनुसार खसरा नमबर 1839 का रकबा 0.42 हैक्टेयर है। इस प्रकार खसरा नम्बर 1641 का 0.

08 है0 रकबा रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 1839 में बढा हुआ प्रतीत होता है। इस बाबत अपीलान्ट को तहत अदालत द्वारा अवलोकन कराने के बाद आराजी खसरा नम्बर 1839 की बाबत रिकार्ड पेश करने हेतु निर्देशित किया गया किन्तु प्रार्थीयान/अपीलान्ट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र को प्रमाणित कराने हेतु अन्य कोई रिकार्ड पेश नहीं किया गया है तथा रिपोट तहसीलदार के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थीयान द्वारा उक्त आराजी का बेचान भी कर दिया है । हाल रिकार्ड जमाबन्दी संख्या 2068–2071 में प्रार्थीयान के नाम के स्थान पर आराजी क्रेतागण हरीराम पुत्र तुलाराम का नाम दर्ज हो चुका है। प्रार्थीगणों को अपना प्रार्थना पत्र प्रमाणित कराने हेतु समस्त रिकार्ड प्रस्तुत कर प्रमाणित कराना चाहिऐ था। इसलिऐ तहत अदालत ने प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र को पुष्ट करने हेतु अन्य कोई रिकार्ड पेश नहीं करने की स्थिति में प्रार्थना पत्र 136 एल आर एक्ट खारिज किया गया है जो न्यायोचित रहता है। तहत अदालत के आदेश में कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाते हुये तहत अदालत का आदेश दिनांक 12.1.2017 यथावत रखा जावे।

हमने वकील अपीलान्ट की बहस तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील में प्रथमतः प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा–5 पर विचार किया गया। आर.आर.डी. 2002 पेज 37 में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है किः–

> "Limitation Act,1963 Section 5&While considering the question of condonation of delay in filing of revision , appeal or reference by state Govt. the Court,Tribunal or Authority has to first consider merits of the matter and where there is good case on merits the rule is to condone result in public mischief on skilful management of delay in the process of filing appeal etc. and public at large
> would be sufferer that makes a distinction and category of litigant state as compared to ordinary litigants"

तथा आर0बी0जे0 (4) 1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि–
"Liberal view should be Taken in Condoning The Delay in Filling The appeal"

इस प्रकार प्रकरण के गुणावगुण पर विचार कर निर्णय किया जाना उचित पाते है। अतः अपील प्रस्तुतीकरण में हुई देरी के संदर्भ में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। यह प्रकरण पूर्व में न्यायालय हाजा से निर्णय दिनांक 11.4.2014 से रिमाण्ड किया गया था जिसकी पालना में अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.1.2017 पारित करते हुये अपीलान्ट का प्रार्थनापत्र अपीलान्ट द्वारा रिकार्ड प्रस्तुत न करने के अभाव में खारिज कर दिया गया है। तहत अदालत ने भूप्रबन्ध विभाग ने गत खसरा नम्बर 1970 रकबा 15 बीघा का हाल खसरा नम्बर 1671 बनाया है वह 2.40 हैक्टेयर की बजाय 2.32 हैक्टेयर का बनाया है यानि 8 ऐयर रकबा कम बनाया है। इस तथ्य की पुष्टि तहत अदालत द्वारा तलब की गई तहसीलदार डीग की रिपोर्ट क्रमांक/राजस्व/16/372 दिनांक 4.4.2016 से क्लीयर हो जाती है। साथ ही रिपोर्ट में यह संभावना भी व्यक्त की गई है कि खसरा नमबर 1671 का 0.08 है0 रकबा रिकार्ड के अनुसार खसरा नम्बर 1839 में बढा हुआ प्रतीत होता है। यह सुनिश्चित है कि यदि कोई खातेदार का बाद भूप्रबन्ध कार्यवाही रकबा गत के मुकाबले कम पाया जाता है तो वह 136 एल आर एक्ट के तहत उसको दुरूस्त कराने का अधिकारी है। क्यों कि भू प्रबन्ध

विभाग को किसी भी रिकार्डेड खातेदार के रकबे को कम या वेशी करने का कोई अधिकार नहीं है। तहत अदालत ने अपीलान्ट के द्वारा मात्र खसरा नम्बर 1839 की बाबत रिकार्ड पेश न करने को आधार बनाया जाकर प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल आर एक्ट खारिज कर दिया गया है जो न्यायोचित नहीं रहता है। इस संदर्भ में राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स की धारा 369 उपखण्डाधिकारी के कर्तव्यों को विस्तृत रूप से स्पष्ट करती है । राजस्थान लैण्ड रैवेन्यु (लैण्ड रिकार्ड्स) रूल्स की धारा 369 में उपखण्डाधिकारी कलक्टर के नियन्त्रण के अधीन रहते हुये उपखण्ड के नक्शों तथा अभिलेखों को सही रूप में रखने की उसकी जिम्मेदारी में हाथ बंटाता है। उपखण्डाधिकारी भू अभिलेख अधिकारी भी है जिसके क्षेत्राधिकार में काश्तकारों के वास्तविक कब्जा एवं नक्शो राजस्व रिकार्ड इत्यादि का सही रख रखाब का भी दायित्व है। तहत पत्रावली के अवलोकन से अपीलान्ट के पटवार कागजात में कम किये गये 0.08 हैक्टैयर रकबे की बाबत कोई तथ्यात्मक विवेचन किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः प्रकरण पुनः जांच हेतु प्रेतिप्रेषित किया जाना उचित रहता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आशिंक स्वीकार की जाती है। तहत अदालत उपखण्डाधिकारी (सहायक कलकटर) डीग का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.1.2017 निरस्त किया जाता है। उपखण्डाधिकारी डीग को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे प्रकरण के वास्तविक तथ्यों से रूबरू होते हुये अपीलान्ट को पुनः सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पटवार कागजात में अपीलान्ट के कम हुये रकबे के संबध में नये सिरे से जांच कराया जाकर पुनः गुणावगुण के आधार पर तार्किक एवं न्यायसंगत आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 1.2.2019 सुनाया गया ।

(चन्द्रशेखर मूथा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official